



राजकीय पॉलिटैकनिक खगड़िया
GOVT. POLYTECHNIC KHAGARIA (BIHAR)

WALK IN INTERVIEW: RESULT

ADV No. GPK/01/2025

पद: – अतिथि व्याख्याता

संकाय– रसायन

Sl. No.	Name	Father's Name	Result
1.	VIPIN KUMAR	SIYARAM MANDAL	Provisionally Selected
2.	AMIYA SAURAV	JAI SHANKAR SINGH	Waitlisted

महत्वपूर्ण निर्देश: –

1. अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपना मूल दस्तावेजों के साथ संस्थान में दिनांक 15.02.2025 तक उपस्थित हो अन्यथा प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् ही अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों को कार्यानुमति दी जा सकती है।
3. कार्यानुमति की शर्तों को शपथपत्र (Affidavit) के साथ जमा करना अनिवार्य है।

Sambh Kumar
20/01/2025

20/01/2025

20-01-2025
प्राचार्य

राजकीय पॉलिटैकनिक खगड़िया




राजकीय पोलिटेकनिक खगड़िया
GOVT. POLYTECHNIC KHAGARIA (BIHAR)

ADV No. GPK/01/2025

यह कार्यानुमति निम्नांकित शर्तों के आधार पर प्रदान की जायेगी: –

1. अतिथि व्याख्याता को प्रत्येक संकाय/विषय में आवश्यकतानुसार आवंटित विषय के लिए वर्ग रूटीन के अनुसार वर्ग अध्यापन/प्रयोगशाला का कार्य कराना होगा।
2. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग), बिहार सरकार के संकल्प संख्या- 3016, दिनांक 02.12.2021 के आलोक में प्रत्येक वर्ग कार्य हेतु अतिथि व्याख्याताओं के लिए रू0 1400/- (चौदह सौ रूपये) मात्र प्रति घंटी की दर से एवं अधिकतम रू0 45000/- (पैंतालिस हजार रूपये) मात्र होगी।
3. यह आदेश अंशकालीक (वर्ग कार्य आधारित) होने के कारण मानदेय के अलावा किसी प्रकार का अन्य भुगतान/कटौती (आयकर को छोड़कर) नहीं की जायेगी।
4. वर्ग अध्यापन/प्रयोगशाला कार्य के अलावा प्राचार्य द्वारा प्रदत्त अन्य संस्थानिक कार्यों का भी संपादन संतोषप्रद रूप से करना अपेक्षित है। इन कार्यों का मानदेय विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग), बिहार सरकार का पत्रांक- 1440, दिनांक 20.06.2017 में वर्णित मापदण्डों के अनुसार गणना कर निर्धारित की जाएगी परन्तु मानदेय की राशि अधिकतम मानदेय की राशि से ज्यादा नहीं होगी।
5. यह कार्यानुमति पूर्ण रूप से अस्थायी, आवश्यकता और पारिश्रमिक आधारित वैकल्पिक व्यवस्था होगी तथा भविष्य में स्थायीकरण/नियमितीकरण आदि हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
6. अतिथि व्याख्याता की सेवाएँ असंतोषप्रद पाए जाने पर बिना किसी सूचना के सेवा समाप्त कर दी जाएगी एवं इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. विज्ञापित पद एक वैकल्पिक/कार्यकारी व्यवस्था के तहत है। विभाग द्वारा नियमित/संविदा व्याख्याता की नियुक्ती होने पर इन पदों के विरुद्ध दी जाने वाली कार्यानुमति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
8. यह कार्यानुमति दिनांक 30.11.2025 तक के लिए निर्गत की जायेगी। संतोषप्रद कार्य तथा छात्रों के Feedback के आधार पर अगले सत्र के लिए कार्यानुमति दी जा सकती है।
9. अनुशासनिक आधार पर या असंतोषप्रद सेवा के कारण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के कार्यानुमति आदेश रद्द की जा सकती है।


प्राचार्य 20-01-2025

राजकीय पोलिटेकनिक खगड़िया